व्यावसायिक योजना

आय उत्पन्न करने वाली गतिविधि - कैंचूआ खाद द्वारा

मंजवारी स्वयं सहायता समूह रोहल यूनिट-1

एसएचजी/सीआईजी का नाम	::	मंजवारी स्वयं सहायता समूह रोहल यूनिट-1
वीएफडीएस नाम	::	वीएफडीएस रोहल यूनिट-I
क्षेत्रीय तकनीकी इकाई	::	खशधार
मण्डलीय प्रबन्धन इकाई	::	रोहडू

के तहत तैयार:

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका में सुधार के लिए परियोजना
(जेआईसीए असिस्टेड)

विषय सूची

क्रमांक .	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	3
2	स्वयं सहायता समूह / सामान्य हित समूह का विवरण	4
3	लाभार्थियों का विवरण	5
4	गांव का भौगोलिक विवरण	5-6
5	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	6
6	उत्पादन प्रक्रियाएं	7
7	उत्पादन योजना	7
8	बिक्री और विपणन	7-8
9	ताकत, कमजोरियो, अवसरों, खतरों का विश्लेषण	8-9
10	सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	9
11	अर्थशास्त्र का विवरण	9-11
12	आर्थिक विश्लेषण का अनुमान	11
13	फंड की आवश्यकता	11
14	फंड के स्रोत	12
15	बैंक ऋण चुकौती	12
16	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	12-13
17	निगरानी विधि	13
18	समूह सदस्य तस्वीर	13
क	VFDS द्वारा अनुमोदित व्यवसाय योजना	14
ख	संकल्प-सह-समूह सहमति प्रपत्र	15
ग	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम और हस्ताक्षर	16

1. पृष्ठभूमि

सरल उत्पादन तकनीकों, पारिस्थितिक, आर्थिक और इससे जुड़े मानव स्वास्थ्य लाभों के कारण वर्मीकम्पोस्टिंग देश में एक मजबूत मुकाम हासिल कर रहा है। विशेष रूप से देश के दक्षिणी और मध्य भागों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के तकनीकी मार्गदर्शन के तहत, उद्यमियों द्वारा सरकार के समर्थन के तहत, वर्मीकम्पोस्टिंग इकाइयों की एक महत्वपूर्ण संख्या स्थापित की गई है।

वर्मीकम्पोस्टिंग के प्रत्यक्ष पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं क्योंकि यह स्थायी कृषि उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), ट्रस्ट आदि हैं जो अपने स्थापित आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के कारण वर्मीकंपोस्टिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

कृमि खाद

वर्मी कम्पोस्टिंग, केंचुओं का उपयोग करके खाद बनाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वे ज्यादातर मिट्टी में रहते हैं, बायोमास पर भोजन करते हैं और इसे पचे हुए रूप में उत्सर्जित करते हैं। वर्मीकम्पोस्ट एक प्रकार की जैविक खाद है। यह केंचुओं की कई प्रजातियों का उपयोग करके जैविक कचरे को खाद बनाकर प्राप्त किया जाता है। वर्मी कम्पोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कम्पोस्ट कहते हैं। केंचुओं को पालने/उपयोग करके कम्पोस्ट का उत्पादन वर्मी कम्पोस्टिंग तकनीक कहलाता है। यह छोटे और बड़े पैमाने के किसानों दोनों के लिए खाद के उत्पादन के लिए सबसे सरल और लागत प्रभावी तरीकों में से एक है। वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन इकाई किसी भी ऐसी भूमि में स्थापित की जा सकती है जो किसी भी आर्थिक उपयोग के अधीन नहीं है बल्कि छायादार और पानी के ठहराव से मुक्त है। स्थल भी जल संसाधन के निकट होना चाहिए

वर्मीकम्पोस्टिंग, जिसे सही मायने में "कचरे से सोना" कहा जाता है, जैविक कृषि उत्पादन में प्रमुख इनपुट है। सरल तकनीक के कारण, कई किसान वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में लगे हुए हैं क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य को मजबूत करता है, मिट्टी की उत्पादकता खेती की लागत को कम करती है।

पोषक तत्वों की उच्च मात्रा के कारण वर्मीकम्पोस्ट की मांग में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। दूसरे, बड़ी आबादी अब प्राकृतिक और जैविक उत्पादों की ओर बढ़ रही है।

2. स्वयं सहायता समूह/सीआईजी का विवरण

स्वयं सहायता समूह / सामान्य हित समूह का नाम	::	मंजवारी स्वयं सहायता समूह रोहल यूनिट-1
ग्राम वन विकास समिति	::	वीएफडीएस रोहल यूनिट-I
रैंज	::	खशधार
वन मंडल	::	रोहडू
गाँव	::	मंजवारी, थाना
खंड	::	छोहारा (चिरगांव)
जिला	::	शिमला
एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	11
गठन की तिथि	::	फरवरी, 2022
बैंक खाता संख्या	::	89540100015339
बैंक विवरण	::	एचपी ग्रामीण बैंक चिरगांव
एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	::	100/-
कुल बचत		**8800/-**
कुल अंतर-ऋण		-----
नकद ऋण सीमा		-----
चुकौती स्थिति		-----

3. लाभार्थियों का विवरण:

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	श्रेणी	आय स्रोत	पता
1	संजीता	पत्नी वरुण	32	सामान्य	कृषि	मंजवारी
2	हिमला	पत्नी शिव कुमार	43	सामान्य	कृषि	मंजवारी
3	शर्मिला	पत्नी राजिंदर	33	सामान्य	कृषि	मंजवारी
4	रक्षा	पत्नी लोकेश कुमार	34	सामान्य	कृषि	मंजवारी
5	उषा	पत्नी सुरेश	35	सामान्य	कृषि	मंजवारी
6	अभिलाष	पुत्र शेर सिंह	30	सामान्य	कृषि	मंजवारी
7	अजीत	पुत्र बाला सिंह	26	सामान्य	कृषि	मंजवारी
8	प्रवीण	पुत्र नेहर सिंह	32	सामान्य	कृषि	मंजवारी
9	सुशील	पुत्र किशोरी लाल	60	सामान्य	कृषि	मंजवारी
10	चंदर शेखर	पुत्र विशन लाल	28	सामान्य	कृषि	मंजवारी
11	विद्या देवी	पत्नी अशोक	50	सामान्य	कृषि	थाना

4. गांव का भौगोलिक विवरण

4.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	155 किमी
4.2	मेन रोड से दूरी	::	0200 मीटर
4.3	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	::	चिरगांव/रोहड़ू 18 से 34 किमी
4.4	मुख्य बाजार का नाम और दूरी		चिरगाँव 18 किलोमीटर, रोहड़ू 34 किलोमीटर
4.5	मुख्य शहरों के नाम और दूरी		रोहड़ू, 34 किमी
4.6	मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणित किया जाएगा	::	एचपी वन विभाग, रोहड़ू और चिरगाँव

5. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

5.1	उत्पाद का नाम	::	कृमि खाद
5.2	उत्पाद पहचान की विधि	::	समूह इस गतिविधि को करने में रुचि रखता है। सेब की पट्टी होने के कारण वर्मी कम्पोस्ट की भारी मांग है। गतिविधि

			समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से तय की गई है
5.3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	::	हां

6. उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण

चरण		विवरण
चरण-1	::	प्रसंस्करण जिसमें कचरे का संग्रह, कतरन, धातु का यांत्रिक पृथक्करण, कांच और चीनी मिट्टी की चीज़ें और जैविक कचरे का भंडारण शामिल है।
चरण-2	::	पशुओं के गोबर के घोल के साथ सामग्री को ढेर करके बीस दिनों के लिए जैविक कचरे का पूर्व पाचन। यह प्रक्रिया आंशिक रूप से सामग्री को पचाती है और केंचुआ खपत के लिए उपयुक्त है। मवेशियों के गोबर और बायोगैस के घोल को सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। गीले गोबर का उपयोग वर्मीकम्पोस्ट के उत्पादन में नहीं करना चाहिए।
चरण -3	::	केंचुआ बिस्तर तैयार करना। वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए कचरे को डालने के लिए एक ठोस आधार की आवश्यकता होती है। ढीली मिट्टी कीड़े को मिट्टी में जाने देगी और पानी देते समय भी; सभी घुलनशील पोषक तत्व पानी के साथ मिट्टी में चले जाते हैं।
चरण 4	::	वर्मी कम्पोस्ट संग्रह के बाद केंचुओं का संग्रह। पूरी तरह से कंपोस्ट की गई सामग्री को अलग करने के लिए कंपोस्ट की गई सामग्री को छान लें। आंशिक रूप से कम्पोस्ट की गई सामग्री को फिर से वर्मी कम्पोस्ट बेड में डाल दिया जाएगा।
चरण-5	::	नमी बनाए रखने और लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ने देने के लिए वर्मी-कम्पोस्ट को उचित स्थान पर संग्रहित करना।

7. उत्पादन योजना का विवरण

7.1	उत्पादन चक्र (दिनों में)	::	90 दिन (वर्ष में तीन चक्र)
7.2	प्रति चक्र आवश्यक जनशक्ति (सं।)	::	1
7.3	कच्चे माल का स्रोत	::	घर और अपने खेतों से
7.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	::	खुला बाजार

7.5	कच्चा माल - आवश्यक मात्रा प्रति चक्र (किलो) प्रति सदस्य	::	1800 किलो प्रति चक्र
7.6	प्रति सदस्य प्रति चक्र (किलो) अपेक्षित उत्पादन	::	900 किलोग्राम प्रति चक्र

8. विपणन/बिक्री का विवरण

8.1	संभावित बाजार स्थान	::	हि0प्र0 वन विभाग
8.2	इकाई से दूरी	::	स्थानिय बाज़ार अपने खेत पर प्रयोग करें
8.3	बाजार में उत्पाद की मांग	::	प्रधान कार्यालय वन विभाग उनकी नर्सरी के लिए विशाल वर्मी-कम्पोस्ट खरीद रहा है और इलाके में बगीचों की भारी मांग होगी
8.4	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	::	पीएमयू हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित वर्मी-कम्पोस्ट की खरीद की सुविधा भी प्रदान करेगा।
8.5	उत्पाद की मार्केटिंग रणनीति		एसएचजी सदस्य भविष्य में बेहतर बिक्री मूल्य के लिए अपने गांवों के आसपास अतिरिक्त विपणन विकल्प तलाशेंगे।
8.6	उत्पाद ब्रांडिंग		सीआईजी/एसएचजी स्तर पर उत्पाद का विपणन संबंधित सीआईजी/एसएचजी की ब्रांडिंग द्वारा किया जाएगा। बाद में इस IGA को क्लस्टर स्तर पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है
8.7	उत्पाद "नारा"		"प्रकृति के अनुकूल"

9. ताकत, कमजोरियां, अवसरों, खतरों का विश्लेषण (SWOT)

❖ शक्ति

- गतिविधि पहले से ही कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा की जा रही है
- एसएचजी के प्रत्येक सदस्य के पास प्रत्येक घर में 2 से 8 तक के मवेशी हैं
- एसएचजी सदस्यों के परिवार उच्च मूल्य की फसलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं जो पूरे वर्ष कच्चे माल यानी कृषि जैविक कचरे की पर्याप्त उपलब्धता प्रदान करते हैं।
- उनके खेतों में आसानी से उपलब्ध कच्चा माल

- विनिर्माण प्रक्रिया सरल है
- उचित पैकिंग और परिवहन में आसान
- परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों का सहयोग करेंगे
- उत्पाद का आत्म-जीवन लंबा

❖ **कमजोरी**

- विनिर्माण प्रक्रिया/उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव।
- तकनीकी जानकारी का अभाव

❖ **अवसर**

- जैविक एवं प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में जागरूकता के कारण वर्मी कम्पोस्ट की बढ़ती मांग
- वर्मी कम्पोस्ट को अपने खेत में लगाने से मिट्टी की सेहत में सुधार और वृद्धि होगी और गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों का उत्पादन होगा जो बेहतर मूल्य प्रदान करेगा।
- रसोई घर से बाहर रह गए घरेलू कचरे सहित जैविक कचरे का सर्वोत्तम उपयोग
- हिमाचल प्रदेश वन के साथ विपणन गठजोड़ की संभावना

❖ **धमकी / जोखिम**

- अत्यधिक मौसम के कारण उत्पादन चक्र के टूटने की संभावना
- प्रतिस्पर्धी बाजार
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों के बीच प्रतिबद्धता का स्तर

10. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

➔ **उत्पादन - कच्चे माल की खरीद सहित व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा इसका ध्यान रखा जाएगा**

➔ **गुणवत्ता आश्वासन - सामूहिक रूप से**

➔ **सफाई और पैकेजिंग - सामूहिक रूप से**

➔ **मार्केटिंग - सामूहिक रूप से**

➔ **इकाई की निगरानी - सामूहिक रूप से**

11. अर्थशास्त्र का विवरण

(राशि वास्तविक रु. में)

क्रमांक	विवरण	इकाइयां	मात्रा/ संख्या	लागत (रु.)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
ए	पूंजी लागत								
ए.1	**गड्ढे और शेड का निर्माण**								
1	निर्माण के साथ-साथ श्रम लागत (गड्ढे का आकार आंतरिक 10ftX4ftX2ft का होगा)	प्रति सदस्य	11	6000	66000	0	0	0	0
2	कवर शेड का निर्माण	प्रति सदस्य	11	4000	44000				
	उप-कुल (ए.1)				**110000**	**0**	**0**	**0**	**0**
ए.2	**यंत्रावली और उपकरण**								
3	औजार, उपकरण, वजन पैमाने आदि।	प्रति सदस्य	11	2000	22000	0	0	0	0
	उप-कुल (ए.2)				**22000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल पूंजीगत लागत (ए.1+ए.2)				**132000**	**0**	**0**	**0**	**0**
बी	**आवर्ती लागत**								
4	बीज केंचुआ	प्रति किलो	11	500	5500	0	0	0	0
5	गारा/गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत	टन	66	900	59400	62370	65489	68763	72201
6	श्रम लागत	प्रति टन	33	700	23100	24255	25468	26741	28078
7	पैकिंग सामग्री	संख्या	4400	2	8800	9240	9702	10187	10696
8	अन्य हैंडलिंग शुल्क	प्रति टन	33	150	4950	5198	5458	5731	6018
सी	**अन्य शुल्क**								
9	बीमा	L/S			0	0	0	0	0
10	ऋण पर ब्याज	प्रतिवर्ष		2 प्रतिशत	3000	3000	3000	3000	3000
	कुल आवर्ती लागत				**104750**	**104063**	**109117**	**114422**	**119993**
	कुल लागत - पूंजी और आवर्ती				**236750**	**104063**	**109117**	**114422**	**119993**
डी	**वर्मी कम्पोस्टिंग से आय**								
11	**वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री**	टन	33	**7000**	**231000**	**242550**	**254678**	**267412**	**280783**
12	**केंचुआ की बिक्री**					**5500**	**11000**	**11000**	**11000**
13	**कुल राजस्व**				**231000**	**248050**	**265678**	**278412**	**291783**
14	शुद्ध रिटर्न (डी-सी)				-5750	143987	156561	163990	171790

नोट - चूंकि श्रम कार्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा और उनके स्थान पर पहले से उपलब्ध घोल / गोबर / अपशिष्ट और इन सामग्रियों की खरीद नहीं की जाएगी, इसलिए आवर्ती लागत (श्रम लागत, घोल / गोबर / अपशिष्ट की खरीद की लागत)) कुल आवर्ती लागत से घटाया जा सकता है।

12. आर्थिक विश्लेषण

विवरण	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5	
पूंजी लागत	**132000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
आवर्ती लागत	**104750**	**104063**	**109117**	**114422**	**119993**	
कुल लागत	**236750**	**104063**	**109117**	**114422**	**119993**	684345
कुल लाभ	**231000**	**248050**	**265678**	**278412**	**291783**	1314923
शुद्ध लाभ	**-5750**	**143987**	**156561**	**163990**	**171790**	**630578**
लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत	**684345**					
लाभ का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत	**1314923**					
लाभ लागत अनुपात	**1.92**					

शुद्ध लाभ का वितरण - उत्पादन में हिस्सेदारी के अनुसार।

13. आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष

- प्रत्येक सदस्य के लिए गड्ढे का आकार एक गड्ढे के लिए 10X4X2 फीट की योजना बनाई गई है।
- वर्मी कम्पोस्ट की उत्पादन लागत रु. 3.2 प्रति किग्रा
- वर्मी कम्पोस्ट (रूढ़िवादी पक्ष) की बिक्री रु. 7 प्रति किलो
- शुद्ध लाभ रु. 2.8 प्रति किग्रा
- यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ष 3 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में स्वयं सहायता समूह के सभी 11 सदस्यों द्वारा 33 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन किया जाएगा।
- केंचुआ की कीमत रु. 500.00 प्रति किग्रा
- दूसरे वर्ष के दौरान, बिक्री के लिए अधिशेष केंचुआ होगा (क्योंकि यह वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान कई गुना बढ़ जाएगा)
- वर्मी कम्पोस्ट बनाना एक लाभदायक IGA है और इसे लिया जा सकता है

14.निधि की आवश्यकता:

क्रमांक	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना का योगदान	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	132000	66000	66000
2	कुल आवर्ती लागत	104750	0	104750
3	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	55000	55000	0
	कुल =	**291750**	**121000**	**170750**

ध्यान दें-

- पूंजीगत लागत - परियोजना के तहत पूंजीगत लागत का 50% और पुरुष और सामान्य समूह होने के नाते एसएचजी समूह द्वारा 50% कवर किया जाएगा।
- आवर्ती लागत - एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन किया जाना।
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन - परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

15. निधि के स्रोत:

परियोजना का योगदान	• पूंजीगत लागत का 50% पिट और शेड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा (आकार 10ftX4ftX2ft होगा) • एसएचजी बैंक खाते में 1 लाख रुपये तक जमा किए जाएंगे। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत।	गड्ढे/गड्ढे के निर्माण के लिए सामग्री की खरीद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद की जाएगी।
एसएचजी योगदान	• एसएचजी द्वारा वहन की जाने वाली पूंजीगत लागत का 50%, इसमें शेड/शेड के निर्माण की लागत शामिल है। • एसएचजी द्वारा वहन की जाने वाली आवर्ती लागत	

16. बैंक ऋण चुकौती

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और नकद ऋण सीमा के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और चुकौती रसीद सीसीएल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूलधन का बैंकों को वर्ष में एक बार पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, चुकौती बैंकों में चुकौती अनुसूची के अनुसार की जानी चाहिए।
- परियोजना सहायता- डीएमयू द्वारा 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन साल के लिए होगी। एसएचजी/सीआईजी को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा।

17. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- परियोजना उन्मुखीकरण समूह गठन/पुनर्गठन
- समूह अवधारणा और प्रबंधन
- आईजीए (सामान्य) का परिचय
- विपणन और व्यवसाय योजना विकास
- बैंक क्रेडिट लिंकेज और उद्यम विकास
- राज्य और बाहरी राज्य के भीतर एसएचजी/सीआईजी का एक्सपोजर दौरा

17. निगरानी तंत्र

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- एसएचजी को प्रत्येक सदस्य के आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

समूह के सदस्यों की तस्वीर -

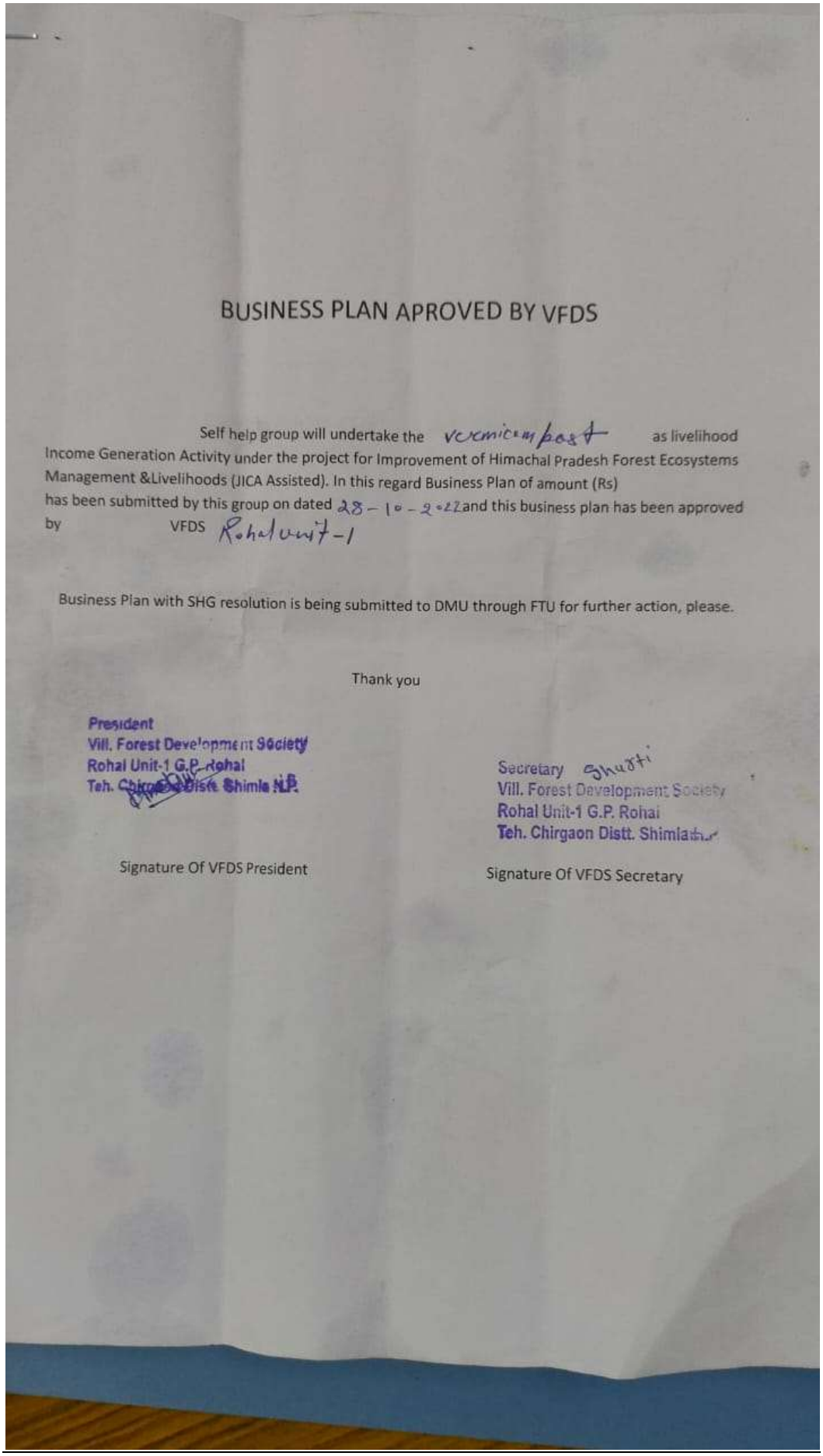

BUSINESS PLAN APROVED BY VFDS

Self help group will undertake the vermicompost as livelihood Income Generation Activity under the project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management &Livelihoods (JICA Assisted). In this regard Business Plan of amount (Rs) has been submitted by this group on dated 28-10-2022 and this business plan has been approved by VFDS Rohal unit-1

Business Plan with SHG resolution is being submitted to DMU through FTU for further action, please.

Thank you

President
Vill. Forest Development Society
Rohal Unit-1 G.P. Rohal
Teh. Chirgaon Distt. Shimla H.P.

Signature Of VFDS President

Secretary Jhusti
Vill. Forest Development Society
Rohal Unit-1 G.P. Rohal
Teh. Chirgaon Distt. Shimla

Signature Of VFDS Secretary

NAME & SIGNATURE OF AUTHORIZED SIGNATORIES

S.No.	NAME	DESIGNATION	SIGNATURE
1.	Manoj	Vfds president	
2.	SHRUti	Vfds Secretary	Shruti
3.	HimLA DeVi	Shg president	
4.	ShekhAR	Shg secretary	

Submitted to DMU through FTU

Shakti Singh . RFO
Name & Signature of FTU Officer
Forest Range Officer
Khashdhar

Robin Singh
Name & Signature of FTU Co-ordinator

Approved

Divisional Forest Officer
Name & Signature of DMU Officer
Rohru Forest Division Rohru

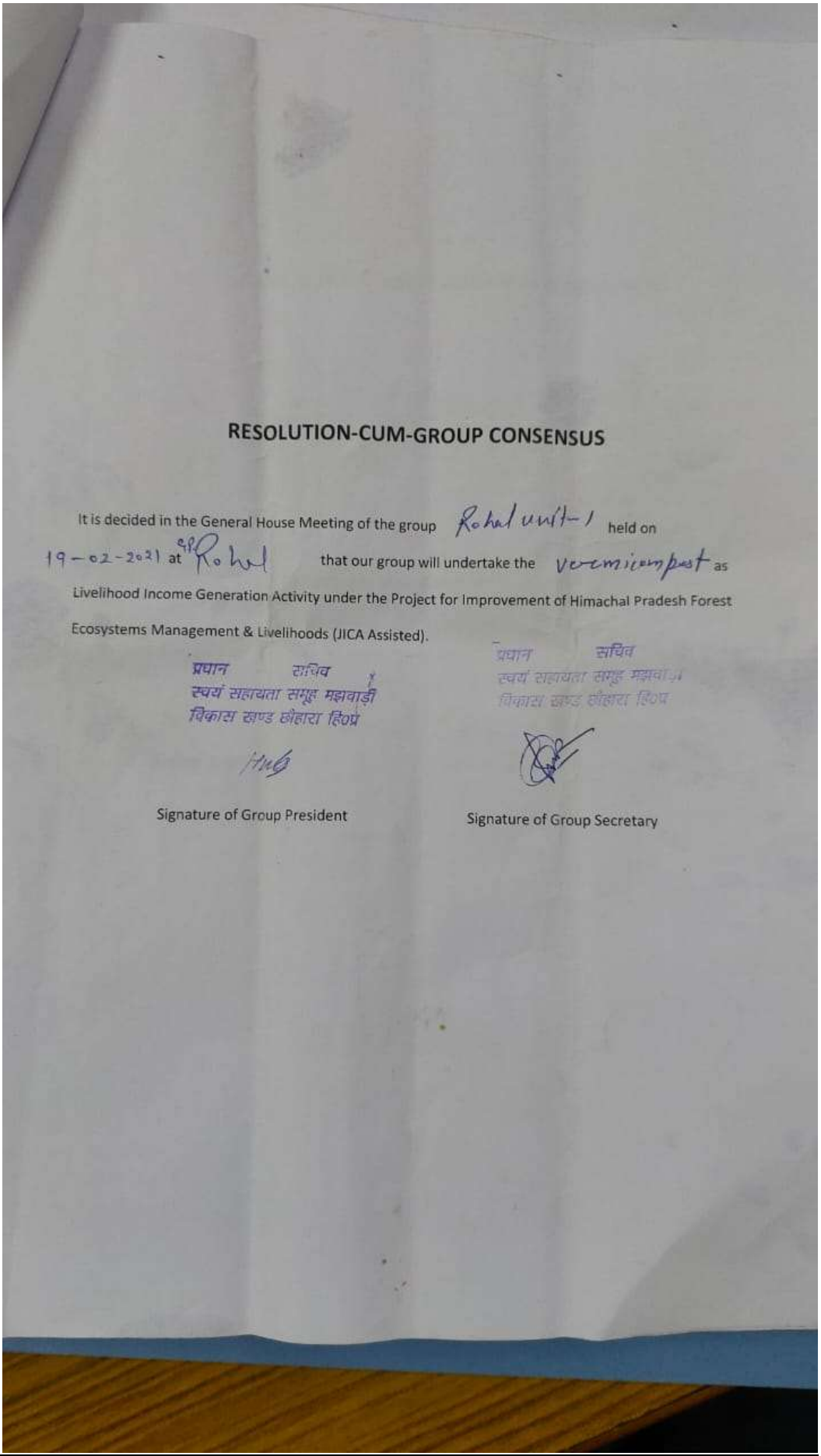

RESOLUTION-CUM-GROUP CONSENSUS

It is decided in the General House Meeting of the group Rohal unit-1 held on 19-02-2021 at Rohal that our group will undertake the vermicompost as Livelihood Income Generation Activity under the Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management & Livelihoods (JICA Assisted).

प्रधान सचिव
स्वयं सहायता समूह मझवाड़ी
विकास खण्ड छोहारा हि0प्र

Signature of Group President

प्रधान सचिव
स्वयं सहायता समूह मझवाड़ी
विकास खण्ड छोहारा हि0प्र

Signature of Group Secretary

ग्राम वन विकास समिति द्वारा व्यवसाय योजना की स्वीकृति

मंजवारी स्वयं सहायता समूह रोहल यूनिट-1 हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका (जेआईसीए असिस्टेड) में सुधार के लिए परियोजना के तहत आजीविका आय सृजन गतिविधि के रूप में वर्मीकम्पोस्टिंग का कार्य करेगा।

इस संबंध में, इस समूह द्वारा दिनांक को राशि (रु.) **291750**/- की व्यवसाय योजना प्रस्तुत की गई है और इस व्यवसाय योजना को **वीएफडीएस रोहल यूनिट-I** द्वारा अनुमोदित किया गया है।

आगे की कार्रवाई के लिए एसएचजी संकल्प के साथ व्यापार योजना को एफटीयू के माध्यम से डीएमयू को प्रस्तुत किया जा रहा है।

धन्यवाद

संकल्प-समूह काआम सहमति प्रपत्र

रोहल में आयोजित **वीएफडीएस रोहल यूनिट-I** की आम सभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हमारा समूह हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका (जेआईसीए असिस्टेड) में सुधार के लिए परियोजना के तहत आजीविका आय सृजन गतिविधि के रूप में वर्मीकम्पोस्टिंग गतिविधि करेगा।